:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूॅंगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :— अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बर 86/19 राजस्व वाद

1 श्री प्रभुलाल पिता प्यारचन्द लबान निवासी निठाउवा तहसील सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर राज

वादी

बनाम

1 विनोद पिता मगनलाल लबाना

2 उमेश पिता मगनलाल लबाना

3 प्रकाश पिता मगनलाल लबाना

4 बिल्लुराम पिता ताराचन्द लबाना निवासीयान निठाउवा

5 बिनोद पिता बालुराम लबाना निवासी बाकडा तहसील सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर राज

6 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूॅंगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 15/01/2021

(1)प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 से 3 एक ही परिवार के लोग है वादी के पुत्र रोजगार हेतु बाहर रहते है प्रतिवादीगण वादी को लोन दिलाने की बात कह कर तहसील कार्यालय सीमलवाडा ले गए, तथा वहॉ जाकर दजस्तावेज विकयपत्र पर हस्ताक्षर करवाए, तथा सबरजिस्टार सीमलवाडा के समक्ष पेश किया जिस पर सब रजिस्टार द्वारा पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादीगण छल कपट कर दस्तावेज विकयपत्र करवा रहे है, ऐसे में उक्त दस्तावेज की संदीग्धता होने पर सब रजिस्टार सीमलवाडा द्वारा वादी के परिवार के किसी सदस्य को

साथ लाने की बात कह कर दस्तावेज लोटा दिया गया, जिसकी जानकारी वादी द्वारा अपने पुत्रो के दी गई, जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण में आपस– में बोलचाल भी हुई। घर पर वादी अकेला रहाता है तथा वह अनपढ है ऐसे में प्रतिवादीगण द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई दस्तावेज विक्रयपत्र नहीं करवा लेवे इस हेतु अपने पुत्रो की उपस्थिती में ही दस्तावेज निष्पादीत किए जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को तलब किया गया कोई उपस्थित नहीं हुआ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादग्रस्त आराजी गॉव निठाउवा कें खसरा सख्या 842/42 का रकबा 6 बीघा भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है तथा वादी के जीवन काल में वादी के पुत्रो की अनुपस्थित में किसी प्रकार से कोई दस्तावेज निष्पादीत नहीं करने का निवेदन कर स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई जो न्यायोचित होने से वाद वादी डिक्री किया जाता है।

अतः गॉव निठाउवा कें खसरा सख्या 842/42 का रकबा 6 बीघा भूमि का वादी अपने जीवन काल में अपने पुत्रो की अनुपस्थित में किसी प्रकार से जमीन विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करे, तथा ऐसे विक्रयपत्र/हस्तान्तरण हेतु दस्तावेज निष्पादीत नहीं करे, इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को भेज कर लेख है कि उक्त आराजी के विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा का नामान्तरण दर्ज रिकार्ड करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
सीमलवाडा

आज दिनांक....15../01/2021 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सीमलवाडा मुख्यालय धम्बोला जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधकारी श्री अनील कुमार जैन RAS

श्री प्रभुलाल **बनाम** श्री विनोद आदि

दावाः– अन्तर्गत धारा 92 क।

मुकदमा सख्याः–86/19.....

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष कुमार कलाल और प्रतिवादीगण की ओर से कोई उप. नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। दिनांक ....../01/2021को अनील कुमार जैन RAS के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर ओदश किया जाता है और डिकी दी जाती है कि **गॉव निठाउवा कें खसरा सख्या 842/42 का रकबा 6 बीघा भूमि का वादी अपने जीवन काल में अपने पुत्रो की अनुपस्थित में किसी प्रकार से जमीन विकय/हस्तान्तरण नहीं करे, तथा ऐसे विकयपत्र/हस्तान्तरण हेतु दस्तावेज निष्पादीत नहीं करे, इस आश्य की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार तहसील सीमलवाडा को भेज कर लेख है कि उक्त आराजी के विकय/हस्तान्तरण नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा का नामान्तरण दर्ज रिकार्ड करे।**

यह आज दिनाक 11./01/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1. वाद के लिए स्टाम्प			1 स्टाम्प वकालतनामा		
2 स्टाम्प वकालतनामा			2 स्टाम्प अरजी के लिए		
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			3. महनताना वकील		
4 महनताना वकील			4 खचो गवाहन		
5. खर्चा गवाहान			5 आदेशिका की तामील		
6 कमिश्नर की फीस			6 कमिश्नर की फीस		
7 आदेशिका की तामील					
योग					

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा
सीमलवाडा